(ख) क्या सरकार ने उन लोगों को क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जिनके हितों पर इस काम के कारण असर पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जो लोग अपने स्थान से हटाये गए हैं उन्हें अन्यत्र कोई भूमि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और कहां उन्हें यह जमीन आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के निर्माण के आशय से वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के तहत एक अधिसूचना जारी की है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 19 के संबंध में लोगों के अधिकारों या पार्क की सीमाओं के भीतर भूमि की जांच कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी प्रभावित व्यक्ति को भूमि का आबंटन अभी नहीं किया जा सकता। प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करना कलेक्टर के अंतिम निर्णय और अधिकारों के निर्धारण के तरीके पर निर्भर करेगा।

*307. [*Transferred to the 7th August*, 1998.]

Shortage of Open Wagons for Rock Phosphate loading

*308. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH :
SHRI RAM GOPAL YADAV :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of open wagons for rock phosphate loading ;

(b) whether it is a fact that MMTC is placing indents in block rakes for rock phosphate loading at Umra in Ajmer Division (Western Railway) but the railways are supplying wagons in piecemeal as result of which sulphur phosphate manufacturers are paying 10% extra as freight ; and

(c) if so, the steps taken by Government to stop wagon supply in piecemeal for block rakes movements ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) In busy season on the broad gauge, there are occasions when there is time lag between demand and supply of open wagons.

(b) Indents at Umra are placed by MMTC for block rakes Railways mostly supply wagons to for full rake with 72 hours

(c) Instructions are given that supply of wagons for a full rake should be arranged within 72 hours to enable consigner to get the benefit of full rake rate.